

(b) if so, what steps Government are taking to impart education to the people who are living in the slum areas in Delhi to make the State fully literate ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में प्रधानाचार्यों के स्तर के पदों के लिए आरक्षण

3460. श्री आनन्द प्रकाश गौतम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में कुल कितने केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं और उनमें कितने एवं किस स्तर के प्रधानाचार्यों नियुक्त हैं तथा उन में से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कितने-कितने प्रधानाचार्य हैं तथा सामान्य श्रेणी के प्रधानाचार्यों की तुलना में उनका अनुपात क्या है ,

(ख) दिसम्बर, 1993 में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु कितने अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया था तथा उनकी योग्यताओं और अनुभव का ब्योरा क्या है,

(ग) इन पदों के लिये कितने व्यक्तियों का चयन किया गया और कितने पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं,

(घ) असफल अभ्यर्थियों की योग्यताओं और अनुभव का ब्योरा क्या है,

(ङ) प्रधानाचार्य पद पर चयन के लिये सामान्य श्रेणी और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित

की गई अगेक्षित योग्यताएं और अनुभव क्रमशः क्या-क्या थे, और

(च) इन रिक्त पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंडी (कुमारी शैलजा) : (क) (i) देश में केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या—793

(ii) नियुक्त प्रधानाचार्यों की संख्या :

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
ग्रेड-1	593	26	08
ग्रेड-2	52	—	—

(ख) में (च) सामान्य संवर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहताएँ और अनुभव सलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नोचे देखिए) सितम्बर, 1993 में संगठन द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के परिणाम-स्वरूप 438 सामान्य, 14 अनुसूचित जाति तथा 02 अनुसूचित जनजाति के पात्र अभ्यर्थी विचार किए जाने के लिए उपलब्ध हुए। इनमें से 270 सामान्य अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र अभ्यर्थियों को दिसम्बर, 1993 में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। इस साक्षात्कार में केवल 255 सामान्य अभ्यर्थी 13 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी तथा 02 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी शामिल हुए। चयन समिति ने 73 सामान्य अभ्यर्थियों, 7 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों तथा एक अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की सिफारिश की। ऐसे सभी अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनकी सिफारिश की गई थी।

सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

विवरण

अनिवार्य अर्हताएं

(i) गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव-विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, वाणिज्य या अर्थ-शास्त्र में कम से कम द्वितीय श्रेणी से मास्टर डिग्री (45 प्रतिशत और इससे अधिक अंकों को समकक्ष समझा जाएगा)।

(ii) प्रशिक्षण/शिक्षा में डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा।

(iii) मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च माध्यमिक या उच्चतर स्तरों पर 7 वर्ष के न्यूनतम शिक्षण अनुभव सहित कम से कम 10 वर्षों का अनुभव और शैक्षिक प्रशासन में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव।

शैक्षिक प्रशासन में अनुभव को निम्न रूप में परिभाषित किया गया है:-

- (क) उच्च विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज/डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के रूप में, या
- (ख) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कालेज/डिग्री कालेज के उप-प्रधानाचार्य के रूप में या डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय शिक्षक प्रशिक्षण कालेज में विभागाध्यक्ष के रूप में, या
- (ग) पब्लिक/सैनिक स्कूल में हाउस मास्टर के रूप में या सैनिक शिक्षा कोर्स में अधिकारी के रूप में, या
- (घ) 3 वर्षों या इससे अधिक समय के लिए केन्द्रीय विद्यालय में उप-प्रधानाचार्य के रूप में, या

(ङ) कम से कम 15 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय में उप प्रधानाचार्य और/या पी०जी०टी० के रूप में, या

(च) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के मामलों में कम से कम 10 वर्षों के लिए केन्द्रीय विद्यालय में उप-प्रधानाचार्य और/या पी०जी०टी० के रूप में।

चाँदनीघ

(i) हिन्दी और अंग्रेजी में कार्यसाधकज्ञान।

(ii) खेल-कूद और सह-पाठ्यचर्या कार्यक्रमों के आयोजन में अनुभव।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए छूट

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हैं और जिनका सराहनीय शैक्षिक जीवन (कैरियर) रहा है प्रशासकीय अनुभव में निम्नलिखित छूट के लिए पात्र हैं:

मान्यता प्राप्त संस्थानों में उच्च माध्यमिक या उच्चतर स्तरों पर न्यूनतम 3 वर्षों के शिक्षण अनुभव सहित पांच वर्षों का शैक्षिक अनुभव और शैक्षिक प्रशासन में 2 वर्षों का अनुभव। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के ऐसे पी०जी०टी० और उप-प्रधानाचार्यों को अपक्षित प्रशासकीय अनुभव को पूर्ण छूट दी जाएगी। जिन्होंने 30-6-93 को पी०जी०टी० और/या उप-प्रधानाचार्य की 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो।

Navodaya Vidyalayas in Delhi and Uttar Pradesh

3461. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT be pleased to state :